नियामक सेबी ने निवेशकों के हित को ध्यान में रखकर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नया निर्देश जारी किया

निवेशक की शिकायत 60 दिन में दूर करनी होगी

01 हजार रुपये पेनल्टी रोजाना देनी होगी 60 दिन के बाद कंपनी को

10 दिन की अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा शेयर बाजार के पास

सख्ती

नई दिल्ली | एजेंसी

शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों को 1 सितंबर से निवेशकों की शिकायतों का 60 दिन के अंदर निपटान करना होगा। इस अवधि के अंदर निपटारा नहीं करने पर कंपनी को रोजाना 1000 रुपया पेनल्टी के तौर पर चुकाना होगा। बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के हित में ध्यान रखकर यह नया निर्देश जारी किया है।

सेबी ने अपने नए सर्कुलर में कहा कि कंपनियों से निवेशकों की शिकायतों को आमतौर पर 30 दिन के अंदर निपटारा करने की उम्मीद की जाती है। अगर कंपनी इस अवधि के दौरान शिकायत का निपटारा नहीं कर पाती है तो वह सेबी के वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निपटान प्रणाली 'स्कोर्स' के पास चली जाती है। सर्कुलर में कहा गया है, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा 60 दिनों से अधिक समय से लंबित निवेशक शिकायतों का निवारण नहीं करने पर शेयर बाजार प्रति दिन 1,000 का जुर्माना लगा सकता है। अगर सूचीबद्ध कंपनी जुर्माना का भुगतान करने या शिकायत को 15 दिनों के भीतर हल करने में सफल नहीं होती है तो शेयर बाजार 10 दिनों तक की अवधि बढ़ाने के लिए रिमाइंडर भेज सकता है। इसके बाद भी अगर कंपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने में विफल रहती है तो डिपॉजिटरी प्रमोटरों के डीमैट खाते को तुरंत फ्रीज कर देगी।

01 सितंबर से बाजार नियामक सेबी का नया निर्देश लागू होगा

इलेस्ट्रेशन-भूपेन्द्र मंडल

पंजीयन कराना जरूरी होगा

इससे पहले सेबी की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया था कि जो भी निवेशक शिकायत दर्ज करना चाहते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन स्कोर्स पर कराना होगा। शिकायत के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निवेशक को आवश्यक जानकारी मसलन नाम, पैन, पता और ई-मेल आईडी उपलब्ध करानी होगी।

एक सितंबर से अमल में आएंगे नए दिशानिर्देश

सेबी के नए दिशानिर्देश एक सितंबर से अमल में आएंगे। इसके बाद कंपनियों को निवेशकों की शिकायतों का टालमटोल करना मुश्किल होगा। सेबी ने प्रतिनिधि सलाहकारों (प्रॉक्सी एडवाइजर) के लिए भी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश जारी किए। इसके तहत उन्हें मतदान की सिफारिश करने के संदर्भ में नीतियां बनानी होगी और उसमें किसी प्रकार की नई व्यवस्था के बारे में अपने ग्राहकों को जानकारी देनी होगी। प्रतिनिधि सलाहाकर यह सुनिश्चित करेंगे नीतियों में साल में कम-से-कम एक बार समीक्षा हो।

शिकायतें अब सिर्फ स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर दर्ज होंगी

सेबी ने निवेशकों से अपनी शिकायतें सिर्फ वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निपटान प्रणाली स्कोर्स पर दर्ज कराने को कहा है। सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों, रजिस्टर्ड मध्यवर्ती इकाइयों या अन्य के खिलाफ सेबी की वेबसाइट या सेबी अधिकारियों की आधिकारिक आईडी पर भेजी गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। सिर्फ स्कोर्स पर भेजी गई शिकायतों की सुनवाई होगी।

भारत बन सकता है प्रमुख आपूर्तिकर्ता : गडकरी

नई दिल्ली | एजेंसी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि अपने आयात के वैकल्पिक स्रोत तलाश रहे देशों के लिए भारत एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है। उन्होंने उद्योगपतियों से इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए कहा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए गडकरी ने कहा कि फिक्की जैसे उद्योग संगठनों को उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जिनके लिए अन्य देश बहुत हद तक आयात पर निर्भर, विशेषकर चीन पर निर्भर हैं। उन्हें इसके भारतीय विकल्प और स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान चाहिए ताकि देश के निर्यात में वृद्धि हो सके। गडकरी फिक्की के एक कार्यक्रम में एमएसएमई के संगठनों के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे।

गडकरी के पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ-साथ एमएसएमई मंत्रालय का भी प्रभार है। उन्होंने कहा, मौजूदा हालत में सभी क्षेत्र कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कोरोना कई मुश्किलें खड़ी की हैं। हालांकि माहौल में अच्छी बात है कि हितधारक अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं और भारत उनकी पसंद बन सकता है।

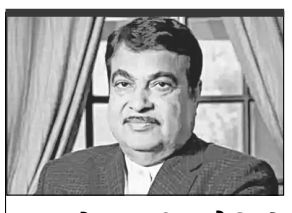

सामने आ रही चुनौतियों की सूची तैयार करें

गडकरी ने कहा कि कारोबारी आने वाली चुनौतियों की सूची तैयार करें और जहां तक पूंजी या वित्त पोषण से जुड़ी चिंताएं हैं उनके लिए वह खुद उन्हें आश्वासन देते हैं कि इसे वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को शामिल कर तेजी से सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है।

बिजनेस आपतक

बर्जर पेंट्स का लाभ 60 फीसदी घटा

नई दिल्ली। कोरोना संकट के कारण बर्जर पेंट्स का लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 60 फीसदी घट गया। कंपनी को जून तिमाही में 113.5 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। वहीं, पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का लाभ 286.5 करोड़ रुपये था। इस तरह लाभ में 60.4 फीसदी की कमी आई है।

गेल का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 80% घटा

नई दिल्ली। सरकारी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का शुद्ध लाभ जून तिमाही में 80 प्रतिशत घटकर 256 करोड़ रुपये रह गया। इसका कारण प्राकृतिक गैस और पेट्रोरसायन के विपणन में हुआ नुकसान है। कंपनी ने बताया कि उसे साल भर पहले की इसी तिमाही में 1,288 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

निर्यात 10.21% गिरा व्यापार घाटा कम हुआ

नई दिल्ली। भारत के निर्यात में जुलाई माह में 10.21 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 23.64 अरब डॉलर पर आ गया। यह लगातार पांचवां महीना है, जब निर्यात में गिरावट आई है। जुलाई महीने में आयात भी 28.4 प्रतिशत गिरा।

विदेशी मुद्रा भंडार 538 अरब डॉलर पर पहुंचा

मुंबई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सात अगस्त को समाप्त सप्ताह में 3.623 अरब डॉलर बढ़कर 538 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। आरबीआई के आंकड़ों से इसकी जानकारी मिली।

थोक महंगाई शून्य से नीचे आकर 0.58% रही

नई दिल्ली | एजेंसी

थोक कीमतों पर आधारित महंगाई की दर जुलाई में नकारात्मक 0.58 प्रतिशत रही और इस दौरान खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति जून महीने में नकारात्मक 1.81 प्रतिशत रही थी, जबकि मई और अप्रैल महीने में यह क्रमशः नकारात्मक 3.37 प्रतिशत और नकारात्मक 1.57 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मासिक डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जुलाई, 2020 में नकारात्मक 0.58 (अनंतिम) प्रतिशत रही, जो पिछले

साल की समान अवधि में 1.17 प्रतिशत थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई जुलाई के दौरान 4.08 प्रतिशत रही। यह आंकड़ा जून में 2.04 प्रतिशत था।

जुलाई महीने के दौरान ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति घटकर 9.84 प्रतिशत रह गई, जो इससे पिछले महीने में 13.60 प्रतिशत थी। विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति जुलाई में 0.51 प्रतिशत थी, जो जून में 0.08 प्रतिशत थी।

ई-वे बिल के दायरे में सोना आएगा

नई दिल्ली। राज्यों के अंदर सोने के परिवहन में ई-वे बिल का इस्तेमाल करने का सुझाव राज्य मंत्रियों के एक पैनल ने शुक्रवार को दिया। हालांकि, मंत्रियों के पैनल ने कहा कि अंतर-राज्यीय यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में सोने के परिवहन में ई-वे बिल को लागू करना संभव नहीं होगा।

मंत्रियों के समूह जिसमें केरल, बिहार, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री शामिल थे, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोने और कीमती पत्थरों की आवाजाही के लिए ई-वे बिल के व्यवहार्यता पर चर्चा की। इसमें सहमति बनी कि राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर सोने के परिवहन में ई-वे बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अंतरराज्यीय में इसका इस्तेमाल करना संभव नहीं होगा।

रिजर्व बैंक 57,128 करोड़ का लाभांश देगा

मुंबई | एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सरकार को 57,128 करोड़ रुपये का लाभांश हस्तांतरित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। पिछले साल केंद्रीय बैंक ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बोर्ड की 584वीं बैठक में यह मंजूरी दी गई। यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बोर्ड ने इसके साथ ही आपात जोखिम भंडार को भी 5.5 प्रतिशत पर बनाये रखने का भी निर्णय लिया है। बैठक में बोर्ड ने वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के साथ ही कोरोना वायरस प्रभाव से निपटने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गए मौद्रिक, नियामक और अन्य उपायों की भी समीक्षा की। बोर्ड ने इनोवेशन हब स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। इस दौरान केन्द्रीय बैंक के वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा को भी अनुमोदित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों से 60,000 रुपये के लाभांश का प्रावधान किया था।

मंजूरी

- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सरकार को लाभांश हस्तांतरित
- 1.76 लाख करोड़ रुपये पिछले साल केंद्रीय बैंक ने दिए थे

सोने में 730 रुपये की तेजी आई

नई दिल्ली। रुपये के कमजोर रहने के बीच बहुमूल्य धातुओं के भाव में शुक्रवार को तेजी रही। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 730 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,520 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़त के साथ बंद हुई।

पिछले सत्र के कारोबार में सोना 52,961 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी का भाव 1,520 रुपये की तेजी के साथ 70,500 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। पिछले सत्र के कारोबार में चांदी भाव 68,980 रुपये था।

सेंसेक्स 433 अंक लुढ़का, निफ्टी भी धड़ाम

मुंबई। शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स में 433 अंक की बड़ी गिरावट आई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन के उच्चस्तर से 663 अंक नीचे आया। अंत में सेंसेक्स 433 अंक या 1.15 प्रतिशत के नुकसान से 37,877 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक या 1.08 प्रतिशत के नुकसान से 12,000 अंक के स्तर से नीचे 11,178 अंक पर बंद हुआ।

पीएसयू ने 25000 करोड़ निवेश किया

कोलकाता। देश के सात प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों ने चालू वित्त वर्ष में जुलाई तक 24,933 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, रक्षा और दूरसंचार विभाग के सचिवों के साथ ही इन मंत्रालयों से जुड़े सात सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के साथ चालू वित्त वर्ष में उनके पूंजी निवेश की तीसरी बार समीक्षा की। कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्री विभिन्न हितधारकों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं। इस वर्ष जुलाई तक 24,933 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 20,172 करोड़ रही थी।

व्यापार में अवरोध पर जवाबी कार्रवाई

नई दिल्ली। केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि यदि कोई देश भारतीय सामानों के लिये रुकावट या अवरोध लगाता है तो भारत अपने घरेलू विनिर्माण की रक्षा करने के लिये समान व समानुपातिक कदम उठायेगा।

उन्होंने फिनलैंड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की 10वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कोई देश कम गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्यात जारी रखता है या भारत के मुक्त व्यापार समझौते का फायदा उठाकर इसके जरिये अपने उत्पादों को आगे बढ़ाता है, तो ऐसे मामलों में भारत कार्रवाई करेगा।

बैंकों का ऋण 5.51 फीसदी बढ़ा

मुंबई। बैंकों का ऋण और जमा 31 जुलाई को समाप्त पखवाड़े के अंत में सालाना आधार पर क्रमशः 5.51 प्रतिशत और 11.11 प्रतिशत बढ़कर 103 लाख करोड़ रुपये और 142 लाख करोड़ रुपये पर रहा।

रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। दो अगस्त 2019 को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का ऋण 97 लाख करोड़ रुपये और जमा 127 लाख करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधर पर बैंकों का गैर-खाद्य ऋण जून, 2020 में 6.7 प्रतिशत बढ़ा। यह लगभग मई 2020 के स्तर के बराबर ही रहा है।

नवोदय विद्यालय समिति
Navodaya Vidyalaya Samiti

An Autonomous Organization Under Ministry of Human Resource Development,
Department of School Education & Literacy, Government of India
B-15, Institutional Area, Sector-62, Noida, Uttar Pradesh-201307

50 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
"Cleanliness is next to Godliness"

ग्यारहवीं कक्षा में रिक्त स्थानों के सापेक्ष जवाहर नवोदय विद्यालयों में 2020-21 के दौरान पार्श्व प्रवेश

पंजीकरण के लिए ऑनलाइन विंडो आरम्भः 13.08.2020

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथिः 31.08.2020

थोंगाला साई तेजा
12वीं टॉपर (99.4%)
ज.न.वि. निजामाबाद
(तेलंगाना)

पुस्तक प्रदर्शनी
ज.न.वि. डीमा हसाओ
(असम)

स्कूल बैण्ड
ज.न.वि. उदयपुर
(राजस्थान)

स्मार्ट लैब
ज.न.वि. बिलासपुर
(हिमाचल प्रदेश)

नवोदय की सामान्य विशेषताएं

- जेईई मेन-2019 में सर्वश्रेष्ठ परिणामः 11733 छात्रों में 38% छात्र उत्तीर्ण।
- जेईई (एडवांस्ड) 2019 तथा नीट 2019 में क्रमशः 966 और 12654 छात्र अर्हता प्राप्त।
- कक्षा बारहवीं के बाद वंचित वर्ग के 6 विद्यार्थियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश।
- कक्षा दसवीं एवं बारहवीं परीक्षा परिणाम 2019-20

	उत्तीर्ण%	औसत
कक्षा-10वीं	98.66%	75.91
कक्षा-12वीं	98.70%	79.95

- देश के प्रत्येक जनपद (तमिलनाडु राज्य को छोड़कर) में सह-शैक्षिक आवासीय विद्यालय।
- लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास।
- निःशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास।
- प्रवर्जन योजना के माध्यम से व्यापक सांस्कृतिक आदान-प्रदान।
- कम्प्यूटर छात्र अनुपातः 1:8।

अभ्यर्थी www.navodaya.gov.in www.nvsadmissionclasseleven.in के माध्यम से पंजीकरण करें।

पात्रता

- ✓ शैक्षणिक सत्र 2019-20 में सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में उसी जिले/राज्य में कक्षा दस में अध्ययन किया हो, जहाँ ज.न.वि. संचालित हो रहा है और जिसके लिए वे प्रवेश हेतु इच्छुक हैं।
- ✓ अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1 जून 2002 से 31 मई 2006 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच हो। यह सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए लागू है, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी भी शामिल हैं।

रिक्त स्थानों के सापेक्ष कक्षा ग्यारहवीं में छात्रों के प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 11 वीं कक्षा में उपलब्ध रिक्तियों के लिए नवोदय विद्यालय समिति के मानदंड के अधीन प्रवेश। विद्यार्थियों का चयन निम्न चरणों के अनुसार किया जायेगा-

- जनपदवार योग्यता सूची तैयार की जाएगी और रिक्तियों के सापेक्ष विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा।
- जिले के ज.न.वि. में रिक्तियों के सापेक्ष विद्यार्थियों का चयन करने के उपरान्त राज्य स्तर पर सामान्य योग्यता सूची तैयार की जाएगी।

नोटः- एन सी सी, स्काउट और गाइड एवं खेल-कूद के लिए अतिरिक्त महत्व।
उपलब्ध संकाय - विज्ञान, वाणिज्य, व्यावसायिक और मानविकी।

विस्तृत जानकारी के लिए समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in अथवा अपने जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क करें।

नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी

मुंजाल शोवा लिमिटेड

MUNJAL SHOWA

सीआईएनः L34101HR1985PLC020934
पंजीकृत कार्यालय एवं वर्क्सः 9-11, मारूति इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 18, गुरूग्राम-122015 (हरियाणा); फोनः +91-124-4783000; ई-मेलः cs@munjalshowa.net
वेबसाइटः www.munjalshowa.net

वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग की जानकारी तथा पुस्तक बन्दी

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि **मुंजाल शोवा लिमिटेड** ("कम्पनी") के सदस्यों की **35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 10 सितम्बर, 2020 को प्रातः 11:00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम")** के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसाय को सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

कोविड-19 की वजह से होने वाली असामान्य परिस्थितियों और सामाजिक दूरियों के मानदंडों के मद्देनजर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्रों दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 ("एमसीए परिपत्रों") के हवाले से कम्पनी की वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से करने की अनुमति दी है। कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों, एमसीए परिपत्रों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के अनुपालन में, कम्पनी की पैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बृहस्पतिवार, 10 सितम्बर, 2020 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की जा रही है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में सम्मिलित होने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/ P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 के संदर्भ में, वार्षिक रिपोर्ट तथा सूचना मात्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजे जा रहे हैं जिनका ईमेल पता कम्पनी अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। एजीएम की सूचना तथा 2019-20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण ईमेल के माध्यम से 14 अगस्त, 2020 को पूरा कर लिया गया है। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट **www.munjalshowa.net**, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड **www.bseindia.com** एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **www.nseindia.com** तथा सीडीएसएल की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध हैं।

कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 3 सितम्बर, 2020 तक भौतिक तौर पर या डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर शेयर रखने वाले सदस्य, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय के सभी मदों पर एजीएम स्थल के अलावा किसी अन्य जगह से अपना वोट (रिमोट ई-वोटिंग) डाल सकते हैं। सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है किरू

क) एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों का सम्पादन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग से किया जा सकता है।
ख) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 7 सितम्बर, 2020 को प्रातः 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) से आरम्भ होगी।
ग) रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 9 सितम्बर, 2020 सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी।
घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ तिथि बृहस्पतिवार, 3 सितम्बर, 2020 है।
ङ) कोई भी व्यक्ति जो वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना की प्रेषण के पश्चात् शेयरों का अधिग्रहण करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है एवं कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 3 सितम्बर, 2020 तक शेयरों की प्रतिरक्षा करता है, वह **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
च) सदस्य नोट कर सकते हैं किः (i) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को उपरोक्त बिंदु 'ग' में उल्लिखित तिथि और समय के उपरान्त मतदान हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगाय (ii) किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट दिए जाने के पश्चात् सदस्य को तदनंतर इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगीय (iii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगीय (iv) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु बैठक में पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगेय तथा (v) वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि के अनुसार दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।
छ) भौतिक तौर पर अथवा डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर शेयर रखने वाले सदस्यों एवं जिन्होंने अपना ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में दी गई है तथा कम्पनी की वेबसाइट **www.munjalshowa.net** पर उपलब्ध है।
ज) भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को फोलियो संख्या के विवरण सहित पैन कार्ड की एक स्व-सत्यापित प्रति संग्लन कर **helpdeskdelhi@mcsregistrars.com** पर अनुरोध लिखकर अपना ईमेल पता पंजीकृत करायें। डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ ईमेल आईडी रजिस्टर/अपडेट करायें।
झ) लाभांश अधिदेश को पंजीकृत करने का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है।
ञ) ई-वोटिंग के विषय में किसी भी शिकायत अथवा ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम एवं ई-वोटिंग में भाग लेने से सम्बंधित किसी भी प्रश्न या प्रयाजनों हेतु आप **www.evotingindia.com** के हेल्प अनुभाग में 'फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कोष्चन्स' (FAQs) एवं 'ई-वोटिंग मैन्युअल' संदर्भित कर सकते हैं अथवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को एक ईमेल लिखें अथवा श्री नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री नरेश दलवी (022-23058542) से संपर्क करें।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के नियमों के अनुसार पठित इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें, एजीएम तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लाभांश (यदि घोषित किया जाता है) हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारण के उद्देश्य से, शनिवार, 29 अगस्त, 2020 से बृहस्पतिवार, 10 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बन्द रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
हस्ता./-
(गीतांजली शर्मा)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः गुरूग्राम
तिथि : 14 अगस्त 2020